रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-12022026-270072
CG-CG-E-12022026-270072

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2026/माघ 21, 1947
No. 645] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/MAGHA 21, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 9 फरवरी, 2026

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (ड.) के अंतर्गत सूचना

का.आ. 679(अ).—केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात (उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन भारत के राज पत्र, असाधारण भाग ॥ खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 5330, तारीख 28/11/2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उप बन्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, मध्यप्रदेश राज्य के कटनी जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात **"बिलासपुर मंडल:- लाइट आरओबी के प्रावधान द्वारा झलवारा यार्ड में लेवल क्रॉसिंग संख्या बीके-107 को समाप्त किया जाएगा ।"** के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना क्रमांक 5330, तारीख 28/11/2025 का प्रदेश टूडै (हिन्दी), कटनी संस्करण, हितवाद (अंग्रेजी) जबलपुर संस्करण एवं हरी भूमि (हिन्दी), जबलपुर संस्करण में तारीख 11.12.2025 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ड.) की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 कि धारा 20(ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसंलग्न अनुसूची में लिखित भूमि अधिग्रहित की जाती है;

और यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ड.) के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लग्नों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

(अ) रेल परियोजना **"बिलासपुर मंडल:- लाइट आरओबी के प्रावधान द्वारा झालवाड़ा यार्ड में लेवल क्रॉसिंग संख्या बीके-107 को समाप्त किया जाएगा ।"** के अधिग्रहण के लिए भूमि का संक्षिप्त विवरण.

1. ग्राम – कटंगीकला, तहसील – कटनी, जिला – कटनी (म. प्र.)

क्र.	खसरा न.	भूमि का स्वामित्व	भूमि का प्रकार	अर्जित रकबे का क्षेत्र (हे.) में	भूमि स्वामी का नाम
1.	9/1/1	निजी	कृषि	0.240	यशोदा बाई पत्नी अजमेर सिंह सा. देह भूस्वामी
2.	18	निजी	कृषि	0.090	रामबाई पत्नी जेठु कोरी छंगेलाल गिरिजा बाई चमेली बाई पिता जेठु कोरी सा. देह भूस्वामी
3.	19/1	निजी	कृषि	0.030	बंशगोपाल पिता बिसुआ कोरी सा. देह भूस्वामी
4.	24/1	निजी	कृषि	0.010	कृष्ण कुमार पिता रामस्वरुप तिवारी सा. देह भूस्वामी
5.	24/2	निजी	कृषि	0.030	प्रमोद तिवारी पिता रामस्वरुप तिवारी सा. देह भूस्वामी
6.	24/3	निजी	कृषि	0.010	जनार्दन तिवारी पिता रामस्वरुप तिवारी सा. देह भूस्वामी
7.	25/1	निजी	कृषि	0.010	शीला बाई ध.प. चंद्रभान, नारेन्द्र दयाशंकर राजेश पिता चंद्रभान तिवारी सा. देह भूस्वामी
कुल भूमि (कटंगीकला)				**0.420**	

[फा. सं. डीवाई.सी.ई./जीएसयू/बीएसपी/आरयूबी /बीके-107 /20(ड.)/1]

संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 9th February, 2026

Notification Under Section 20E of the Railway Act 1989

S.O. 679(E).—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number 5330, dated 28/11/2025, published in the Gazette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii), hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely **"Bilaspur Division: - Elimination of Level crossing No. BK-107 in Jhalwara yard by provision of Light ROB."** in the state of Madhya Pradesh.

And, whereas, the substance of the said notification Number 5330, dated 28/11/2025, was published in the daily newspapers, Pradesh Today (Hindi) Katni edition, Hitavada (English) Jabalpur edition and Hari-Bhoomi (Hindi) Jabalpur edition on 11.12.2025 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act,

And whereas, no objection was received within the set time period.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section I) of Section 20E of the said Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances,

A. **"Bilaspur Division: - Elimination of Level crossing No. BK-107 in Jhalwara yard by provision of Light ROB."** Brief description for the acquisition.

1. Village Name – Katangikala, Tehsil – Katni, District – Katni (M.P.)

Sl. No.	Khasra No.	Ownership	Type of Land	Acquired Land Area (in Hect)	Name of Land Owner
1.	9/1/1	Private	Agriculture	0.240	Yashoda Bai W/O Ajmer Singh Sa. Deh Bhuswami
2.	18	Private	Agriculture	0.090	Rambai W/O Jethu Kori Chhangelal Girija Bai Chamelibai Father Jethu Kori Sa. Deh Bhuswami
3.	19/1	Private	Agriculture	0.030	Banshgopal S/O Bisua Kori Sa. Deh Bhuswami
4.	24/1	Private	Agriculture	0.010	Krishna Kumar S/O Ramswaroop Tiwari Sa. Deh Bhuswami
5.	24/2	Private	Agriculture	0.030	Pramod Tiwari S/O Ramswaroop Tiwari Sa. Deh Bhuswami
6.	24/3	Private	Agriculture	0.010	Janardan Tiwari S/O Ramswaroop Tiwari Sa. Deh Bhuswami
7.	25/1	Private	Agriculture	0.010	Sheela Bai W/O Chandrabhan, Naarendra Dayashankar Rajesh Father Chandrabhan Tiwari Sa. Deh Bhuswami
Total Land (Katangikala)				**0.420**	

[F. No. DY.CE/GSU/BSP/RUB/BK-107/20E/1]

SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C/RSP

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.12 14:26:14 +05'30'